क्रमांक: विकास / 2025 / 08 दिनांक 06.01.2025

—:आदेश:—

मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के आधार पर जिले में शीत लहर एवं बढती हुई ठंड को देखते हुए, जिले में ठंड के प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 07.01.2025 से दिनांक 09.01.2025 तक, जिले मे संचालित कक्षा 01 से 08 तक के समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों मे अध्ययनरत विद्यार्थियों को शीत लहर एवं ठंड के प्रभाव से बचाव एवं विद्यार्थियो के स्वास्थ्य के मददेनजर विद्यालय मे अवकाश घोषित किया जाना अतिआवश्यक है।

अतः मैं, डॉ0 रविन्द्र गोस्वामी जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन आपदा प्राधिकरण कोटा, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अध्याय 4 की धारा 30 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोटा जिले मे संचालित कक्षा 01 से 08 तक के समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों मे अध्ययनरत छात्र—छात्राओं का दिनांक 07.01.2025 से दिनांक 09.01.2025 तक का अवकाश घोषित करता हूँ। यह अवकाश केवल छात्र—छात्राओं के लिए लागू रहेगा। शेष स्टाफ यथावत कार्य करता रहेगा। जिले के समस्त संस्था प्रधानों को निदेर्शित किया जाता है कि वे इस आदेश की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें। यदि कोई भी संस्था प्रधान निर्धारित समय के दौरान कक्षा संचालन करता पाया जाता है तो उसके विरूद्ध आपदा प्रबघंन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

(डॉ0 रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर एवं
अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
कोटा

क्रमांक: विकास / 2025 / 08 दिनांक 06 / 01 / 2025

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, संभाग कोटा।
2. उपखण्ड अधिकारी / तहसीलदार समस्त जिला कोटा।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कोटा को प्रेषित कर लेख है कि जिले में संचालित सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में उक्त आदेश की पालना कराया जाना सुनिश्चित करावें।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय कोटा।
5. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समस्त जिला कोटा।
6. जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी कोटा।
7. रक्षित पत्रावली ।

(डॉ0 रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर एवं
अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
कोटा

Validity unknown Signature valid
Digitally signed by Ravindra Goswami
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.01.06 18:01:05 IST
Reason: Approved